



सत्यमेव जयते

**Dr. Dinesh Kumar Goyal** I.A.S.

Principal Secretary to Government of Rajasthan  
Public Works Department

**डॉ. दिनेश कुमार गोयल** आई.ए.एस.

शासन प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार

सार्वजनिक निर्माण विभाग

No. F-241/P & M-II/09/D- 478

Phone 0141-2227107 (O)  
0141-5153222 Ext. 1587 (O)  
Fax 0141-2227107 (O)

# 5022, Main Building, Secretariat,  
Jaipur-302 005

# 5022, मुख्य भवन, सचिवालय,  
जयपुर-302 005

Dated 10 March, 2010

**परिपत्र (R-09-10/06)**

**विषय:— नरेगा योजना में जिला/ग्रामीण सड़कों के जंक्शन के सम्बन्ध में।**

सड़कों पर बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाना राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलने वाली राज्य व ग्रामीण सड़कों पर गति अवरोधक बनाये गये हैं। प्रायः देखा गया है कि मुख्य सड़क पर पहुंचने वाली ग्रामीण सड़कों के जंक्शन पर वाहन चालक को उचित दूरी तक साफ-साफ नहीं दिख पाता है जिससे आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि :


1. किसी छोटी सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग पर मिलने की दशा में छोटी सड़क का निर्माण इस प्रकार किया जावे कि घुमाव पर वाहन चालक को पेड़ पौधों अथवा अन्य कारण से दूर तक देखने में बाधा उत्पन्न न हो तथा वाहन मोड़ने हेतु पर्याप्त टर्निंग रेडियस प्राप्त हो। ग्रामीण सड़क जहां मुख्य मार्ग से मिलती है, ऐसे टी जंक्शन पर ग्रामीण सड़क के राइट ऑफ वे के अनुसार स्मूथ धूम (कर्व) बनाया जाये। इस धूम (कर्व) के सम्पूर्ण क्षेत्र पर ग्रेवल बिछाई जाये। टी जंक्शन का प्रारूप संलग्न है।
2. धूम (कर्व) क्षेत्र में देखने में बाधा उत्पन्न करने वाले बोर्ड, केबिन आदि हटवाएँ जायें।
3. धूम (कर्व) क्षेत्र में वृक्षारोपण इत्यादि नहीं किया जावे, जिससे कि वाहन चालक उचित दूरी तक साफ देख सके।
4. यातायात सुरक्षा कार्यो के नरेगा योजना में प्रस्ताव बनाकर पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद स्तर पर स्वीकृत करवा कार्य योजना में सम्मिलित कर तुरन्त आरम्भ करावे।

(**डॉ. दिनेश कुमार गोयल**)


संलग्न-टी जंक्शन का प्रारूप।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री सा.नि.वि., राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. उप सचिव, वास्ते मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, रिको, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल/आवास विकास संस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर।
11. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
12. जिला कलक्टर,..... (समस्त)
13. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य अभियंता, एन.एच./भवन/पी.एम.जी.एस.वाई./एस.एस., सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
15. प्रबंध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.सी., जयपुर।
16. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., संभाग.....(समस्त)
17. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि., वृत्त .....(समस्त)
18. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियंता पथ/बी.ओ.टी./यातायात/पी.एम.जी. एस.वाई./एन.एच./भवन/एस.एस., सा.नि.वि., जयपुर।
19. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि., खण्ड.....(समस्त)
20. ए.सी.पी./अनुभाग-2/संयुक्त विधी परामर्शी/उप निदेशक सांख्यिकी, सा.नि.वि., जयपुर।

  
प्रमुख शासन सचिव,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN.



T.JUNCTION IMPROVEMENT UNDER NREGA